

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 3113 / 12-1 अल्मोड़ा, दिनांक, 19/2/ 2016.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी
देहरादून।

विषय :- बिलखेत-गैराड-भैरुचौबट्टा मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव संख्या 10596/2015)

संदर्भ :- आपकी आपत्ति दिनांक 11.01.2016।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग से सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की आपत्ति दिनांक 11.01.2016 सूचित ऑन लाइन आपत्तियों का निराकरण करने हेतु इस कार्यालय का पत्रांक 2699/12-1 दिनांक 18.01.2016 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक 2337/12-1 दिनांक 15.02.2016 से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है-

| बिन्दु सं० | लगायी गयी आपत्तियाँ | आख्या |
|------------|--|--|
| 1 | Employment generation data in mandays not provided. | Employment generation was shown as Nill in part I due to typing mistakes. Employment will generate during constrution of road. |
| 2 | The district level committee creating for FRA certificate held on 27-02-2014 but meeting of gram sabha and sub divisional level committee held during january 2015 and february 2015 respectively which is not proper district level committee meeting is held after sub divisional level committee meeting. | The district level committee meeting for FRA certificate held on 27-02-2014 टाईपिंग गलती से हुआ है। अतः इसे 27.02. 2015. माना जाय। जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। |
| 3 | It has been mentioned that actual no of trees has been corrected but still in the reply list of 206 has been attached whereas in part II coloum iv 176 trees has been shown to be involved in the prposal. | उक्त मोटर मार्ग निर्माण के आवेदित वनभूमि में 176 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। एवं नापभूमि 30 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अतः कुल 206 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। |
| 4 | In reply it is mentioned that CA scheme has been uploaded but the same is not available in coloum 13v of part II online scanned copy of sol toposheet showing location of CA area and copy of geo refrenced map of CA area also not upload in part II coloum 13. | CA scheme has been uploaded in form A part II along with KML and SOI toposheet showing location of CA area and copy of geo refrenced map of CA area is also attached in part II coloum 13. |

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फ़ैक्स नं०: 05963-220249

वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक 2337 / 12-1-2

बागेश्वर

दिनांक : 15/02/2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय — आनलाईन प्रस्ताव बिलखेत-गैराड- भैरुचौबट्टा मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव संख्या 10596/2015)।

सन्दर्भ— आपका पत्रांक 2699/12-1 अल्मोड़ा दिनांक 18.01.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि बिलखेत-गैराड-भैरुचौबट्टा मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव पर नोडल अधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने स्तर से बिन्दु संख्या 1,2,3 व बिन्दु संख्या 4, का निराकरण इस कार्यालय से कर निम्नानुसार प्रेषित किया जा गया है।

| बिन्दु सं० | लगायी गयी आपत्तियों | आख्या |
|------------|--|--|
| 1 | Empoyment Generation data, in mandays not provided. | Empoyment generation was shown as Nill in part-1 due to typing mistake. Employment will generate during construction of road. |
| 2 | The District level Committee ceeting for FRA Certificate held on 27-02-2014 but metting of Gram sabhas & Sub Divional Leve Committee held during Janury 2015 & February 2015 respectively which is not proper District livel committee meeting is held after sub Divisional Level committee meeting. | The District level Committee meeting for FRA Certificate held on 27-02-2014 टाईपिंग गलती से हुआ है। अतः इसें 27.02.2015 माना जाय। जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है |

| | | |
|---|--|---|
| 3 | It has been mentioned that actual no of trees has been corrected but still in the reply list of 206 has been attached whereas in part-II column iv 176 trees has been shown to be involved in the this proposal. | उक्त मोटर मार्ग निर्माण के आवेदित वनभूमि में 176 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। एवं नापभूमि 30 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अतः कुल 206 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं। |
| 4 | In reply it is mentioned that CA scheme has been uploaded but the same is not available in column 13v of part II online .Scanned copy of sol toposheet shwing location of CA area and copy of geo referenced map of CA area also not upload in part II column 13 . | CA sheme has been uploaded in Form A part II alongwith KML, and soI toposheet showing location of CA area and copy of Geo referenced map of CA area is also attached in part II colum 13. |

अतः प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करे ।

भवदीय,



(एम0बी0सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर
वन प्रभाग, बागेश्वर।



| | | |
|---|--|---|
| 3 | It has been mentioned that actual no of trees has been corrected but still in the reply list of 206 has been attached whereas in part-II column iv 176 trees has been shown to be involved in the this proposal. | उक्त मोटर मार्ग निर्माण के आवेदित वनभूमि में 176 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। एवं नापभूमि 30 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अतः कुल 206 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं। |
| 4 | In reply it is mentioned that CA scheme has been uploaded but the same is not available in column 13v of part II online .Scanned copy of sol toposheet shwing location of CA area and copy of geo referenced map of CA area also not upload in part II column 13 . | CA sheme has been uploaded in Form A part II alongwith KML, and soI toposheet showing location of CA area and copy of Geo referenced map of CA area is also attached in part II colum 13. |

अतः प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करे ।

भवदीय,



(एम0बी0सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर
वन प्रभाग, बागेश्वर।



प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गैराड (सुकरडी)
 तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र
 उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत विस्तृत गैराड मेरु परियोजना
 के निर्माण हेतु (----- हे० आरक्षित वन भूमि, ----- हे० सिविल सोयम भूमि ----- हे०,
 वन पंचायत भूमि ----- हे०) अर्थात् कुल ----- हे० वन भूमि का
 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
 द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गैराड द्वारा दिनांक 2.1.2005
 सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
 संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
 अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
 आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिष्ठत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
 किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
 कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
 आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित
 किया गया कि ग्राम गैराड के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
 कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
 ग्राम सचिव

जीता देवी
 प्रधान
 ग्राम पंचायत गैराड
 वि.सं. बागेश्वर जनपद बागेश्वर
 ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा जनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
 तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
 उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता
 एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 2.1.2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत गैराड (सुकरड़ी)

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|--|--------------|
| 1) | लिसन सिंह | लिसन सिंह |
| 2) | हरबान सिंह | हरबान सिंह |
| 3) | कुंजर सिंह | कुंजर सिंह |
| 4) | आनन्द सिंह | आनन्द सिंह |
| 5) | प्रकाश सिंह | प्रकाश सिंह |
| 6) | जागदीश राम | जागदीश राम |
| 7) | कमला देवी | कमला देवी |
| 8) | मोहन राम | मोहन राम |
| 9) | राम प्रसाद | राम प्रसाद |
| 10) | मनोहर कुमार | मनोहर कुमार |
| 11) | प्रकाश राम | प्रकाश राम |
| 12) | गोकुल प्रसाद | गोकुल प्रसाद |
| 13) | गंगा राम | गंगा राम |
| 14) | कानन-6 राम | कानन-6 राम |
| 15) | चनर राम | चनर राम |
| 16) | मनोहर सिंह | मनोहर सिंह |
| 17) | कमल सिंह | कमल सिंह |
| 18) | प्रताप सिंह | प्रताप सिंह |
| 19) | गोकुल सिंह | गोकुल सिंह |
| 20) | राजन सिंह | राजन सिंह |

गीता देवी
ग्राम पंचायत गैराड
वि.सं. बागेश्वर जलपद-बागेश्वर
ह0/-
ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

कार्यालय उप जिलाधिकारी,
 अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
 प्रमाण-पत्र
 उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड बोगेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत विलखेत गैराड रोड के भोय माता मैके
 (— हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि हे०
 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल — हे० वन भूमि) का
 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
 जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बोगेश्वर) की दिनांक 05/11/15 को
 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
 अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
 श्री किचारा कृष्ण उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
 अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री किचारा कृष्ण उप जिलाधिकारी — अध्यक्ष
 2- श्री सुनील कुमार बिप्राणि उप प्रभागीय वनाधिकारी — सदस्य
 श्री सुनील कुमार बिप्राणि सहायक सामाज कल्याण अधिकारी — सदस्य / सचिव
 श्रीमती नीमा थपल 0डी0सी0 क्षेत्र — सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
 की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
 कि

जिला योजना के अन्तर्गत विलखेत गैराड के भोय माता मैके
कोष 2 तक विस्तार परियोजना हेतु हे० वन
 भूमि प्रि. ख. 100 नि. 10 वि. 0 कपकोट बोगेश्वर

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
 के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
 भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
 हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बोगेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
 परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
 अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
 है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

वैदक में सर्वसम्मति से उपखण्ड वागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत
~~विश्वेश्वर गेयड गोर~~ का अफ-नो-प्लेन परियोजना के निर्माण हेतु
 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनाहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
 प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- वागेश्वर जिलाधिकारी
 जनपद वागेश्वर बानेश्वर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, वागेश्वर

का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- वागेश्वर
 जनपद वागेश्वर
 जिलाधिकारी
 बानेश्वर

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम भैरु चौपड़ा (धडीगाड़ा वनीडिया)
 तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र बागेश्वर के अन्तर्गत विस्तारित गैर आदिवासी से भैरु चौपड़ा परियोजना
 उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के निर्माण हेतु (— हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल सोयम भूमि..... हे०,
 वन पंचायत भूमि — हे०) अर्थात् कुल हे० वन भूमि का
 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
 द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भैरु चौपड़ा द्वारा दिनांक 01-11-15 को
 सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
 संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
 अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
 आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
 किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
 कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
 आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित
 किया गया कि ग्राम भैरु चौपड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
विस्तारित गैर आदिवासी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
 कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
 ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान 8-1-15
 ग्राम पंचायत भैरु चौपड़ा
वि०ख०-बागेश्वर जिला-बागेश्वर
 ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
 तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
 उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता
 एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-231

दिनांक 8/1/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत भैरु चौबट्टा (घरगाड/वनीउडिमर)

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|--|----------------------|
| 1) | जोगा राम घोनी (सरपंच) हस्ताक्षर | हस्ताक्षर |
| 2) | हरीराम (घरगाड) | हस्ताक्षर |
| 3) | नवीन चन्दा घोनी | हस्ताक्षर |
| 4) | सतीश चन्दा घोनी | हस्ताक्षर |
| 5) | रमेश चन्दा घोनी | हस्ताक्षर |
| 6) | रमेश राम (घरगाड) | हस्ताक्षर |
| 7) | पूरन चन्दा घोनी | हस्ताक्षर |
| 8) | केलाश चन्दा घोनी | हस्ताक्षर |
| 9) | राजन्दा घोनी | हस्ताक्षर |
| 10) | शेकर गमाथी | हस्ताक्षर |
| 11) | केवला चन्दा घोनी | हस्ताक्षर |
| 12) | बसन्ती देवी | हस्ताक्षर |
| 13) | राजन्दा घोनी | हस्ताक्षर |
| 14) | राजय घोनी | हस्ताक्षर |
| 15) | सुन्दर घोनी | हस्ताक्षर |
| 16) | समर घोनी | हस्ताक्षर |
| 17) | काबो देवी | हस्ताक्षर |
| 18) | सुशमा देवी | हस्ताक्षर |
| 19) | सविता देवी | हस्ताक्षर |
| 20) | हरिश चन्दा | हस्ताक्षर |

~~हस्ताक्षर~~ 8-1-15
सरपंच

ग्राम पंचायत सिमायल, पट्टी-दुग
पोस्ट-भैरुचौबट्टा
वि०ख० व जिला-बागेश्वर

ग्राम प्रधान 8-1-15
ग्राम पंचायत भैरुचौबट्टा
वि०ख०-बागेश्वर जिला-बागेश्वर
ह०/-
ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

कार्यालय उप जिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, बगिचर

उपखण्ड बगिचर परिक्षेत्र के अन्तर्गत विलखेत गेराड मोटर मार्ग से अरु चौपड़ा गिला
(—) हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि हे०
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल — हे० वन भूमि) का
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बगिचर) की दिनांक 5/3/15 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री किन्ना (किन्ना) उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1- | श्री <u>किन्ना (किन्ना)</u> | उपजिलाधिकारी | <u>अध्यक्ष</u> |
| 2- | श्री <u>सतेन्द्र कुमार बिपाठी</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>सदस्य</u> |
| 3- | श्री <u>सहायक समाज कल्याण अधिकारी</u> | <u>सहायक समाज कल्याण अधिकारी</u> | <u>सदस्य</u> |
| 4- | श्री <u>मनो-नीमा चौपड़ा</u> | सी०डी०सी० क्षेत्र | <u>सदस्य</u> |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि जिला योजना के अन्तर्गत विलखेत गेराड मोटर मार्ग का अरु चौपड़ा गिला

हे० परियोजना हेतु..... हे० वन

भूमि तो० सि० वि० कपकोट, बगिचर

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई गामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सार्वजनिक से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी बगिचर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

वैदिक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत
~~जिले के गेयड मोटर का गेयड मोटर~~ परियोजना के निर्माण हेतु
 को वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसी को जनाहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
 अंशवर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- कागेश्वर
 जनपद- कागेश्वर

निवेदिता : जिलाधिकारी, कागेश्वर

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- कागेश्वर
 जनपद- कागेश्वर
कागेश्वर
कागेश्वर

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 27.02.2015 at time 3:00 pm at Bageshwar in which application claiming rights in **Gairad & Bharu Chophatta** area measuring 2.970 hect for the Construction of **Construction of Bilkhet-Gairad-Bharu-Chophatta Motor road Exection to Dhalan Motor road (Length 5.00) in Distt- Bageshwer** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.


बिना प्रसिद्धी
हाथीगढ़

Deputy Commissioner Chairman
District Level Committe


Place: Bageshwar

Dated: 27/02/2015

परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में बिलखेत गैराड से भैरु चौबट्टा से होते हुए ढालन खुनौली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र


जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत बिलखेत गैराड से भैरु चौबट्टा से होते हुए ढालन खुनौली तक मोटर मार्ग (5.00 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 2.970 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


जिलाधिकारी
बागेश्वर

परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में बिलखेत गैराड से भैरु चौबट्टा से होते हुए ढालन खुनौली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत बिलखेत गैराड से भैरु चौबट्टा से होते हुए ढालन खुनौली तक मोटर मार्ग (5.00 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 2.970 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


 जिला अधिकारी
 जिलाधिकारी
 बागेश्वर

Form-1
(for linear project)

A 1.6.9

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

NO.....

Dated.....

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th Feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.970 heetares of forest and proposed to be diverted in favour of Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Bilkhet-Gairad-Bharu-Chophatta Motor road Exection to Dhalan Motor road (Length 5.00) in Bageshwar district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.970 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annuxer.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have givin their consent ti it:.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No onjection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. Certificate prescribed in form 23-4 attached.

Enclosed- as above

Dated 27/02/2015

Signature


बिपुल प्रसिदायी
भागीरथ

(Bhupal Singh Maoral)

District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

(for liner project)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

No.....

Dated.....


To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's letter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.100 hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Bilkhet-Gairad-Bharu-Chophatta Motor road Exection to Dhalan Motor road (Length 5.00) in Bageshwar.**

s further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.970 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure.....to annexure.....
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: YES
- The each of concerred Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of Gairad & Bharu Chophatta Village (s) is enclosed as annexure.....
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: NA

Encl: As above


बिपल मन्नाल
भागीरथ

Bhupal Singh Manral
District Collector
Bageshwar



"उत्तराखण्ड वन सदैव आपके संग"

कार्यालय वन क्षेत्र अधिकारी, बागेश्वर वन क्षेत्र

पत्र 462 12-1 बागेश्वर, दिनांक 16/01/2015

सेवा में,

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषय:- बिलखेत गैराड मोटर मार्ग से भैरुचौबट्टा तक प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना सूची।

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर की पत्रांक सं० आर/4698/12-1-2 दिनांक 02/01/2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयकम में वन दरंगा छतीना द्वारा बिलखेत-गैराड से भैरुचौबट्टा तक बनने वाली मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया। बिलखेत-गैराड से भैरुचौबट्टा मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों का व्यासवार विवरण निम्नानुसार है।

| वन का प्रकार | वृक्ष की प्रजाति | बिलखेत गैराड मोटर मार्ग से भैरुचौबट्टा तक प्रभावित वृक्षों का व्यासवार विवरण | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----|
| | | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80 से ऊपर | योग |
| गैराड वन पंचायत | चीड़ | 0 | 52 | 10 | 4 | 4 | 2 | — | — | — | 72 |
| सुखराडी वन पंचायत | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 8 | — | — | 15 |
| सुखराडी नाप भूमि | आम | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| सुखराडी नाप भूमि | नाशपाती | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| सुखराडी नाप भूमि | तिमिला | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| गैराड क० 1 | — | — | 11 | — | 1 | 18 | 8 | 8 | 4 | — | 50 |
| गैराड क० 2 | — | — | — | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | — | — | 22 |
| बिलखेत क० 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | — | 12 |
| बिलखेत क० 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | — | 5 |
| घटीगाड नाप भूमि | आम | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| घटीगाड नाप भूमि | हरड़ | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| घटीगाड नाप भूमि | तिमिला | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| घटीगाड नाप भूमि | चीड़ | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| वनियाउडियार नाप भूमि | चीड़ | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| वनियाउडियार नाप भूमि | अखरोट | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| वनियाउडियार नाप भूमि | रीठा | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| वनियाउडियार नाप भूमि | आम | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| वनियाउडियार नाप भूमि | मेहल | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| वनियाउडियार नाप भूमि | कैराल | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| वनियाउडियार नाप भूमि | सेमल | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| योग | | — | 79 | 26 | 12 | 29 | 28 | 27 | 5 | — | 206 |

अतः सूचना महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

0/c

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर.

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर

वन क्षेत्र अधिकारी,
बागेश्वर वन क्षेत्र,
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में बिलखेत गैराड से भैरु चौबट्टा से होते हुए ढालन खुनौली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 6/11/15 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री..... राजस्व विभाग की ओर से श्री..... प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री हीरा बल्लभ भट्ट सहायक अभियन्ता एवं श्री ईश्वर जोशी कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वनभूमि/नापभूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वनभूमि 0.540 हे०, सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.675 हे०, वन पंचायत भूमि 1.755 हे० एवं नापभूमि 0.855 हे० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से..... गाँव व..... जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वनभूमि में 1.76 वृक्षों व नापभूमि 30 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो).....

अधिसारक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
कपकोट (बागेश्वर)

ह०/-
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
कपकोट (बागेश्वर)

ह०/-
(राजस्व विभाग का प्रतिनिधि)
चिवाली बिलखेत

ह०/-
(वन पंचायत की प्रतिनिधि)
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

ह०/-
(जिलाधिकारी)

ह०/-
(प्रमाणित वन अधिकारी)
बागेश्वर

ह०/-
(ग्राम प्रधान/ वन पंचायत सरपंच)

नोट:- उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं के हस्ताक्षर के उपरान्त प्रस्ताव के साथ लगाई जानी है।